HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 10— HLA of 2024

THE HARYANA BACKWARD CLASSES (RESERVATION IN SERVICES AND ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS) AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Amendment Act, 2024. Short title.

2. In Schedule-I to the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016,- Amendment of Schedule-I to Haryana Act 15 of 2016.

(i) in serial number 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 30th June, 2016, namely:-

"Naik";

(ii) in serial number 29, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Hajjam, Nai, Nais";

(iii) in serial number 31, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Joginath, Jogi, Nath, Jangam, Yogi";

(iv) in serial number 50,the existing entry shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 30th June, 2016;

(v) after serial number 71, the following serial number and entry thereagainst shall be added, namely:-

"72. Sain".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Government of India included seven castes i.e. Aheria, Aheri, Heri, Hari, Thori, Turi and Rai Sikh in the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 vide notification gazette No. 27 dated 09.05.2016 on recommendation No. 568-SW (1) 2014 dated 28.07.2014 of the State Government.

2. While including these castes in the List of Scheduled Castes, the Government of India also deleted these castes from the Central List of Other Backward Classes for Haryana vide notification no. 12011/15/2016-BC-II dated 30.06.2016 as the Lists of Scheduled Castes and Other Backward Classes are mutually exclusive and any caste cannot be found in the List of Scheduled Castes as well as that of Backward Classes at the same point of time. Once these castes have been included in the Constitution Schedule Castes order, same are liable to be deleted from the Schedule-I List of Backward Classes Block-'A' of the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (Haryana Act No. 15 of 2016). Therefore, the castes Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi, Hari at serial number 1 in Schedule-I List of Backward Classes Block-'A' of the Act shall be replaced with the word "Naik" and "Rai Sikh" at Serial number 50 shall be replaced with the word "Omitted" with effect from 30.06.2016 as the Government of India has also deleted these castes from the Other Backward Classes List of Haryana from the same date. The Council of Ministers in its meeting dated 03.01.2024 has approved the proposal of the Department regarding deletion of name of seven castes i.e. Aheria, Aheri, Heri, Hari, Turi or Thori from Sr. no. 1 and omission of Rai Sikh caste from Sr.no. 50 from Schedule-I List of Backward Classes Block-'A'.

3. Further, in the same List, there is an entry of castes "Joginath, Jogi, Nath, Jangam-Jogi, Yogi" at Sr. no 31. The Council of Ministers in its meeting held on 03.01.2024 decided that these entries at Sr. no. 31 should be substituted as "Joginath, Jogi, Nath, Jangam, Yogi".

4. In the aforementioned Schedule-I List of Backward Classes Block-'A', there is an entry of castes namely Hajjam, Nai, Nais, Sain at Serial No. 29. 'Nais' Caste was added in the List vide Letter dated 13th December, 1956. Hajjam and Nai Castes were added in the List vide letter dated 9th/23rd December, 1959. 'Sain' Caste was also included in the List vide Notification dated 07-06-1995 on the basis of recommendations made by the Haryana Backward Class Commission in the Report submitted in the year 1995.

5. Now, the Haryana Backward Classes Commission on representation of Sain Samaj has recommended vide letter No. HBCC/2024/101 dated 23.01.2024 that 'Sain' caste be removed from entry no. 29 and be inducted as a separate entry in the Schedule-I List of Backward Classes Block-'A' of the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (Haryana Act No. 15 of 2016).The Council of Ministers in its meeting held on 30.01.2024 has approved the proposal of the department regarding removal of 'Sain' caste from Sr. no. 29 of the Schedule-I List of Backward Classes Block-'A' and its introduction at Sr. no. 72.

6. The bill seeks to achieve the above objectives.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 23rd February, 2024.

R. K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 23rd February, 2024, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA BACKWARD CLASSES (RESERVATION IN SERVICES AND ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS) ACT, 2016

SCHEDULE-1

BACKWARD CLASS BLOCK 'A'

1. Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi, Hari
2. XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX
6. XXX
7. XXX
8. XXX
9. XXX
10. XXX
11. XXX
12. XXX
13. XXX
14. XXX
15. XXX
16. XXX
17. XXX
18. XXX
19. XXX
20. XXX
21. XXX
22. XXX
23. XXX
24. XXX
25. XXX
26. XXX
27. XXX
28. XXX
29. Hajjam, Nai, Nais, Sain
30. XXX
31. Joginath, Jogi, Nath, Jangam-Jogi, Yogi
32. XXX
33. XXX

34. XXX
35. XXX
36. XXX
37. XXX
38. XXX
39. XXX
40. XXX
41. XXX
42. XXX
43. XXX
44. XXX
45. XXX
46. XXX
47. XXX
48. XXX
49. XXX
50. Rai Sikh
51. XXX
52. XXX
53. XXX
54. XXX
55. XXX
56. XXX
57. XXX
58. XXX
59. XXX
60. XXX
61. XXX
62. XXX
63. XXX
64. XXX
65. XXX
66. XXX
67. XXX
68. XXX
69. XXX
70. XXX
71. XXX

10920—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या–10 एच०एल०ए०

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

2016 के हरियाणा अधिनियम 15 की अनुसूची–I का संशोधन।

2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 की अनुसूची–I में,–

(i) क्रम संख्या 1 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 30 जून, 2016 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थातः–

"नायक";

(ii) क्रम संख्या 29 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"हजाम, नाई, नाईज";

(iii) क्रम संख्या 31 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम, योगी";

(iv) क्रम संख्या 50 में, विद्यमान प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा तथा 30 जून, 2016 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(v) क्रम संख्या 71 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थातः–

"72. सैन"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. राज्य सरकार की सिफारिश क्रमांक 568–एसडब्ल्यू (1) 2014 दिनांक 28–07–2014 पर भारत सरकार द्वारा राजपत्र संख्या 27 दिनांक 09–05–2016 के तहत 7 जातियों अर्थात् अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, थोरी या तूरी, हारी और रायसिक्ख को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची में शामिल किया गया।

2. इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करते समय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 12011/15/2016–बीसी–II दिनांक 30–06–2016 के तहत इन सात जातियों को हरियाणा की अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची से भी हटा दिया गया, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची परस्पर अनन्य है और एक जाति को एक ही समय में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की सूची में नहीं पाया जा सकता है। जब एक बार इन जातियों को संविधान के अनुसूचित जाति आदेश में शामिल कर लिया गया है तो उन्हें हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (हरियाणा अधिनियम संख्या 2016 का 15) की पिछड़े वर्ग ब्लॉक–'ए' की अनुसूची–I से हटाया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार की पिछड़े वर्ग की सूची ब्लॉक–'ए' में क्रम संख्या 1 पर "अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, नायक, थोरी या तूरी, हारी" को बदल कर "नायक" शब्द तथा क्रम संख्या 50 पर "रायसिक्ख" की जगह "लोपित" शब्द दिनांक 30–06–2016 से अंकित किया जाएगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी उसी तारीख से हरियाणा की अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में बदलाव किया गया है। मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक दिनांक 03–01–2024 में सात जातियों अर्थात् अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, नायक, थोरी या तूरी का नाम क्रम संख्या 1 से हटाने तथा क्रम संख्या 50 से रायसिक्ख जाति को पिछड़े वर्ग ब्लॉक–'ए' की अनुसूची–I से लोपित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

3. आगे, इसी सूची में क्रम संख्या 31 पर "जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम–जोगी, योगी" जातियों की प्रविष्टि है। मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक दिनांक 03–01–2024 में निर्णय लिया है कि क्रम संख्या 31 की प्रविष्टि को "जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम, योगी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए।

4. उपरोक्त वर्णित पिछड़े वर्ग ब्लॉक–'ए' की अनुसूची–I के क्रम संख्या 29 पर हजाम, नाई, नाईज, सैन नामक जातियों की प्रविष्टि है। 'नाईज' जाति को यादि पत्र दिनांक 13 दिसंबर, 1956 के माध्यम से पिछड़े वर्ग की सूची में जोड़ा गया था। हजाम तथा नाई जातियों को यादि पत्र दिनांक 9/23 दिसंबर, 1959 के माध्यम से पिछड़े वर्गों की सूची में जोड़ा गया था। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की वर्ष 1995 की रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर 'सैन' जाति को भी हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक–'ए' की सूची में अधिसूचना दिनांक 07–06–1995 द्वारा सम्मिलित किया गया था।

5. अब, हरियाणा पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा सैन समाज से प्राप्त प्रतिवेदन पर यादि पत्र क्रमांक एच.बी.सी.सी./2024/101 दिनांक 23–01–2024 द्वारा सिफारिश की है कि 'सैन' जाति को प्रविष्टि संख्या 29 से हटाकर हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (हरियाणा अधिनियम संख्या 2016 का 15) की हरियाणा पिछड़े वर्ग की राज्य–सूची ब्लॉक–'ए' में एक अलग प्रविष्टि के रूप में परिचित किया जाए। मंत्रीपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30–01–2024 में विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि पिछड़े वर्ग ब्लॉक–'ए' की अनुसूची–I के क्रम संख्या 29 से 'सैन' जाति को हटाकर क्रम संख्या 72 पर परिचित किया जाए।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

मनोहर लाल,

मुख्यमंत्री,

हरियाणा।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 23 फरवरी, 2024.

आर० के० नांदल,

सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 से अनुबन्ध

अनुसूची–1

पिछड़ा वर्ग ब्लाक –'ए'

1. अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, नायक, थोरी या तूरी, हारी
2. XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX
6. XXX
7. XXX
8. XXX
9. XXX
10. XXX
11. XXX
12. XXX
13. XXX
14. XXX
15. XXX
16. XXX
17. XXX
18. XXX
19. XXX
20. XXX
21. XXX
22. XXX
23. XXX
24. XXX
25. XXX
26. XXX
27. XXX
28. XXX
29. हजाम, नाई, नाईज, सैन
30. XXX
31. जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम–जोगी, योगी
32. XXX
33. XXX
34. XXX

35.	XXX
36.	XXX
37.	XXX
38.	XXX
39.	XXX
40.	XXX
41.	XXX
42.	XXX
43.	XXX
44.	XXX
45.	XXX
46.	XXX
47.	XXX
48.	XXX
49.	XXX
50.	रायसिक्ख
51.	XXX
52.	XXX
53.	XXX
54.	XXX
55.	XXX
56.	XXX
57.	XXX
58.	XXX
59.	XXX
60.	XXX
61.	XXX
62.	XXX
63.	XXX
64.	XXX
65.	XXX
66.	XXX
67.	XXX
68.	XXX
69.	XXX
70.	XXX
71.	XXX

10912—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.